**छत्तीसगढ़ शासन**
**सामान्य प्रशासन विभाग**
**मंत्रालय**
**महानदी भवन, नया रायपुर**

क्रमांक एफ 21—3/2014/1—3 नया रायपुर, दिनांक 01 जुलाई, 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
छत्तीसगढ़।

**विषयः— प्रकियाओं का सरलीकरण — आवेदन पत्रों में ''शपथ—पत्र'' के स्थान पर ''स्व—घोषणा पत्र'' मान्य करने के संबंध में।**

---

आपको विदित है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की बारहवीं रिपोर्ट में प्रक्रियाओं के सरलीकरण के संबंध में की गई अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा दस्तावेजों के ''स्व—प्रमाणीकरण'' का प्रावधान राज्य में लागू किया गया है। इस संबंध में विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 16.7.2014 द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।

2/ प्रकियाओं का और सरलीकरण करने की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि शासन के विभागों में प्रचलित ऐसी योजनाओं, जिनका लाभ प्राप्त करने हेतु नागरिकों/हितग्राहियों को उनके आवेदन पत्रों में दी गई जानकारी की पुष्टि के लिए प्रचलित विधि अनुसार नोटरी का **''शपथ—पत्र''** आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य हो, मात्र उनमें ही हितग्राहियों को आवेदन पत्र के साथ ''शपथ—पत्र'' संलग्न करना आवश्यक होगा। लेकिन विभागों की अन्य योजनाओं, जिनमें प्रचलित विधि अनुसार आवेदन पत्र में दी गई जानकारी की पुष्टि हेतु नोटरी का ''शपथ—पत्र'' प्रस्तुत करने की अनिवार्यता न हो, उनमें नागरिकों/हितग्राहियों को उनके आवेदन पत्र के साथ ''शपथ—पत्र'' संलग्न करना आवश्यक नहीं होगा। उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी की पुष्टि के लिए ''स्व—घोषणा पत्र'' संलग्न किया जा सकेगा, जिसे मान्य किया जाए।

3/ अतः सभी विभाग उनके विभाग में प्रचलित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित किए गए आवेदन पत्रों के प्ररूप (Format) की समीक्षा कर लें एवं जिन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रचलित विधि के अनुसार ''शपथ—पत्र'' प्रस्तुत करने की अनिवार्यता हो, उनके आवेदन के प्ररूप में संबंधित विधिक प्रावधान का उल्लेख किया जाए। अन्य योजनाओं, जिनमें प्रचलित विधि में ''शपथ—पत्र'' प्राप्त करने की अनिवार्यता न हो, उनके आवेदन पत्र के प्ररूप में ''शपथ—पत्र'' का प्रावधान न रखा जाए, उनमें ''स्व—घोषणा पत्र'' मान्य किया जाए।

4/ कृपया उपरोक्त निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से**
**तथा आदेशानुसार,**

1/7/15
**(विकास शील)**
**सचिव,**
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशसन विभाग

निरंतर....2

पृ0 क्रमांक एफ 21–3/2014/1–3 नया रायपुर, दिनांक 01 जुलाई, 2015

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ नया रायपुर।
3. विशेष सहायक/निज सहायक समस्त मान. मंत्रीगण/संसदीय सचिवगण मंत्रालय, नया रायपुर।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
5. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर।
6. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
7. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
8. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़, रायपुर।
9. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
10. सचिव, राज्य योजना आयोग/राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग/राज्य मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचनाआयोग/राज्य महिला आयोग/राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग/राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/राज्य अल्प संख्यक आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग/राज्य युवा आयोग/लोक आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर।
12. संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, रायपुर।
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली।
14. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर।
15. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), मंत्रालय रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.cg.nic.in/gadonline में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1/7/15

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग